न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 8 / 2019 तारीख रजू 8.01.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. प्रदीप कुमार सिंधी पुत्र श्री आसनदास सिंधी निवासी रेल्वे कोलोनी रेल्वे स्टेशन के सामने सवाई माधोपुर मैसर्स चिराग एजेन्सी, रेल्वे स्टेशन के सामने रेलवे कोलोनी, सवाई माधोपुर
2. राजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री मूलसिंह शेखावत निवासी 10–11 चांदबिहारी नगर खाती पुरा जयपुर पार्टनर मैसर्स विजय फूड एण्ड वेवरेजेज एच 394 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया झोटवाडा एक्सटेंशन फेज 2 सरना डूंगर जयपुर राजस्थान 302012
3. महिपाल सिंह शेखावत पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत निवासी 10–11 चांदबिहारी नगर खाती पुरा जयपुर पार्टनर मैसर्स विजय फूड एण्ड वेवरेजेज एच 394 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया झोटवाडा एक्सटेंशन फेज 2 सरना डूंगर जयपुर राजस्थान 302012
4. विकाश कुमार शर्मा पुत्र श्री ललित प्रसाद शर्मा निवासी प्लॉट नं0 2 बाल विहार कॉलोनी 9 दुकान कालवाड रोड जयपुर पार्टनर मैसर्स विजय फूड एण्ड वेवरेजेज एच 394 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया झोटवाडा एक्सटेंशन फेज 2 सरना डूंगर जयपुर राजस्थान 302012
5. विकाश सिंह राघव पुत्र श्री महेन्द्र सिंह राघव निवासी ए 45 सिंह भूमि खातीपुरा जयपुर पार्टनर मैसर्स विजय फूड एण्ड वेवरेजेज एच 394 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया झोटवाडा एक्सटेंशन फेज 2 सरना डूंगर जयपुर राजस्थान 302012
6. मैसर्स विजय फूड एण्ड वेवरेजेज एच 394 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया झोटवाडा एक्सटेंशन फेज 2 सरना डूंगर जयपुर राजस्थान 302012

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 19 / 07 / 2022

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 13.06.2018 को समय 05.00 पी.एम. पर मैसर्स चिराग एजेन्सी, रेल्वे स्टेशन के सामने रेलवे कोलोनी, सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहॉ पर प्रदीप कुमार सिंधी पुत्र श्री आसनदास सिंधी निवासी रेल्वे कोलोनी रेल्वे स्टेशन के सामने सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर उपस्थित था। जिसको आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर फर्म का

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:31 IST
Reason: SelfAttested

खाद्य अनुज्ञापत्र एवं स्वयं का आधार कार्ड प्रस्तुत किया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Paksged Drinking Water (RONEL) 01 लीटर** की बोतल लगभग 50 कार्टून दुकान पर रखी हुई थी, के अमानक स्तर/मिसब्राण्ड होने का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **Paksged Drinking Water (RONEL) 01 लीटर** की 16 बोतलों वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 107/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीद शुदा खाद्य पदार्थ **Paksged Drinking Water (RONEL) 01 लीटर** की 16 बोतलों को लेकर चार–चार बोतलों के चार पैकेट गत्ते में लपेटकर बनाए तथा आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक **एच–1405** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहॉ जिस पर गवाहों एवं विक्रेता प्रदीप कुमार सिंधी पुत्र श्री आसनदास सिंधी ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में गजानंद लोधा वार्ड बॉय द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक/एफएसएसए/2018/3641 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Paksged Drinking Water (RONEL) 01 लीटर** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 369/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/406 दिनांक 09.07.2018 द्वारा मिसब्राण्डेड **Misbranded** पाया गया।

फर्म चिराग एजेन्सी रेल्वे स्टेशन के सामने रेल्वे कॉलोनी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य पदार्थ **Paksged Drinking Water (RONEL)** का क्रय बिल मैसर्स विजय फूड एण्ड वेवरेजेज एच–394 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया झोटवाडा एक्सटेंशन फेज 2 सरना डूंगर जयपुर राजस्थान 302012 का प्रस्तुत किया जिससे पत्र व्यवहार कर फर्म के मालिक/नोमिनी/भागीदार के नाम पते मांगे गये।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:31 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तों ने मिसब्राण्डेड **Misbranded** खाद्य पदार्थ **Paksged Drinking Water (RONEL)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वंय एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ **Paksged Drinking Water (RONEL)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि पेकिंग ड्रिकिंग वाटर में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं पाई गई है और मिलावट के आधार पर कोई सेम्पल फेल नहीं किया गया मात्र मिसब्राण्डेड के आधार पर सेम्पल फेल किया गया जो कि बहुत बडी गलती नहीं मानी जाकर नाम मात्र की गलती है जिसके लिए इतनी कार्यवाही अमल में लिया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(10) की धारा का उल्लघंन किये जाने का बयान किया गया है परन्तु अभियुक्तगण ने निवेदन किया है कि अभियुक्तगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) में कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 211 के विनियम 2.2.2(10) का सारभूत अनुपालन किया गया है एवं वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। सैंपल ली गई वस्तु में जो वास्तविक घोषणा पायी गयी थी अर्थात "**WITHIN SIX MONTHS FROM THE DATE OF PACKING**" उससे अधिक सूचित करता है जो कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में खरीदने वालों को सूचित किया जाना आवश्यक था "तिथि के" शब्द का प्रयोग मात्र एक अधिशेष समय, उत्तर दे रहे प्रतिवादी को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि .और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है। उक्त धारा का किसी भी प्रकार से उल्लघंन नहीं किया गया है। अतः न्याय निर्णयन आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 369/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/406 दिनांक 09.07.2018 के अनुसार विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(10) की धारा का उल्लघंन का दोषी माना गया है जबकि अभियुक्तगण द्वारा बहस में

न्याय निर्णयन अधिकारी
मुख्य जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:31 IST
Reason: SelfAttested

तर्क दिया गया कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) का सारवान अनुपालन किया है एवं वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। सैंपल ली गई वस्तु में जो वास्तविक घोषणा पायी गयी थी अर्थात "**WITHIN SIX MONTHS FROM THE DATE OF PACKING**" उससे अधिक सूचित करता है जो कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में खरीदने वालों को सूचित किया जाना आवश्यक था "तिथि के" शब्द का प्रयोग मात्र एक अधिशेष समय, उत्तर दे रहे प्रतिवादी को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में अभियुक्त द्वारा भिन्न–भिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों (**नेहरू दासन बनाम फूड इंस्पेक्टर, मदुरई कोरपोरेशन, मदुरई–2010–1 एफ.ए.सी. 49, मद्रास उच्च न्यायालय , ए. राजा सिंह एवं अन्य बनाम द फूड इंस्पेक्टर, 2008(1) एफ.ए.सी. 172 , टी. प्रभू एण्ड एनोदर बनाम द स्टेट 2007 (1) एफ.ए.सी. 314, मद्रास उच्च न्यायालय, हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड एण्ड अदर्स बनाम फूड इंस्पेक्टर, 2007 (1) एफ.ए.सी. 299, मद्रास उच्च न्यायालय , रामबाबू रस्तोगी बनाम राज्य 2012(1) एफ.ए.सी. 56, दिल्ली उच्च न्यायालय , ओम प्रकाश नटानी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, आदि**) का भी हवाला दिया गया है जिनमें उक्त बिन्दु को निर्धारण किया गया है और पूर्व के निर्णयों/आदेशों को निरस्त किया गया है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) के उल्लंघन के आरोप में मेरी राय में संदेह का लाभ अप्रार्थीगण को दिया जाना उचित होगा क्योंकि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक मात्र शिकायत शब्द "**की तिथि**" से थी जोकि याचिकाकर्ता द्वारा लेवल पर जोडा गया था यहां तक कि और अन्यथा, लेवल की घोषणा का उद्देश्य यह था कि ग्राहक को वस्तु खरीदते समय इस बात की जानकारी हो कि जिस वस्तु को वह खरीद रहा है वह वस्तु प्रयोग किये जाने योग्य है और किस समय तक उस वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण उपरोक्त प्रस्तुतियों और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग और लेवलिंग विनियम के विनियम 2.2.2(10) के अन्तर्गत कोई अपराध मेरी राय में कारित नहीं किया है।

उक्त विवेचन के आधार खाद्य विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट संख्या 369/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/406 दिनांक 09.07.2018 के अनुसार अभियुक्त के प्रतिष्ठान पर से लिया गया सेम्पल **Paksged Drinking Water (RONEL)** न तो मिस ब्राण्ड पाया गया है और ना हीं सब स्टेण्डर्ड। अतः मेरी राय में प्रकरण निरस्त योग्य पाया जाता है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:31 IST
Reason: SelfAttested